न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/635/2021
सी एन आर नंबर :— RJBD080012942021

निर्णय दिनांकः—17.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 129/2021 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**दीपक** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी इन्द्रपुरिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रामकिशन प्रजापत, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	20.03.21
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	20.03.21
आरोप पत्र की तिथि	24.11.21
आरोप के विरचना की तिथि	26.08.22
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	23.07.24
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	17.03.2026
निर्णय की तिथि	17.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	17.03.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	दीपक	20.03.2021	22.03.2021	4/25 आयुध अधिनियम, 1959	दण्डादेश	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ	01 योम जे.सी. एवं 02 योम पी.सी.

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	कैलाश सिंह	मालखाना साक्षी
अ.सा.—2	हरिशंकर	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका साक्षी, एफआईआर
अ.सा.—3	नन्द सिंह	अनुसंधान अधिकारी
अ.सा.—4	नरेश कुमार	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—5	सुरेश कुमार	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	मालखाना रजिस्टर
2.	प्र.पी.—1ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
3.	प्र.पी.—2	फर्द जप्ती
4.	प्र.पी.—3	चाक एफआईआर
5.	प्र.पी.—3ए	फर्द गिरफ्तारी
6.	प्र.पी.—4	नक्शा मौका घटनास्थल
7.	प्र.पी.—5	नकल रपट रोजनामचा
.8	प्र.पी.—6	अधिसूचना

नोट :— फर्द गिरफ्तारी को प्रदर्श पी.3ए के रूप में पढ़ा जा रहा है।

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

—:: निर्णय ::—

1. हस्तगत आपराधिक प्रकरण जप्ती अधिकारी श्री हरिशंकर स.उ.नि. द्वारा फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी—2 आरक्षी केन्द्र के.पाटन में पेश करने पर प्रारंभ हुआ। प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि हरिशंकर एएसआई द्वारा पेश फर्द चैकिंग एवं जप्ती अनुसार दिनांक 20.03.2021 को वह मय जाप्ता सुरेश कानि0 362 व नरेश कानि0 1080 मय प्राईवेट वाहन के मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटाप प्रिन्टर के वास्ते चौंकिग गुण्डा बदमाशान अवैध कार्य हेतू समय 4.30 पीएम पर थाना के0 पाटन से रवाना होकर गस्त के. पाटन बस स्टेण्ड पर पहुंचा, जहा पर मुखबीर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने एक टीशर्ट जिसका कलर (जेबरा) धारीदार पहन रखी है जो इन्द्रपुरिया की तरफ रोड पर पैदल पैदल जा रहा है। जिनके पास अवैध हथियार है, की सूचना विश्वसनीय होने से सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराकर रवाना हो सांकेतिक स्थान इन्द्रपुरिया रोड पहुंचा तो इन्द्रपुरिया गांव के रोड पर गाव इन्द्रपुरिया से पहले ही एक व्यक्ति इन्द्रपुरिया की तरफ मुखवीर द्वारा बताये हुलिये का जाता हुजा नजर आया उक्त व्यक्ति वावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको रुकने की हिदायत की उक्त व्यक्ति भागने लगा, जिसको जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकडा तथा नाम पता पुछा तो अपना नाम दीपक आ. श्री कन्हैयालाल जाति वैरवा उम्र 21 साल निवासी इन्द्रपुरिया था के.पाटन जिला बून्दी का होना बताया। जिसकी तलाशी हेतू कानि. सुरेश 362 को गवाह लाने हेतू रवाना किया गया कानि0 ने 15 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचदिगीयो में पड़ने के कारण कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है ना ही अपने नाम पते बताये आस पास स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने से ऐसी स्थिति में हमराही जाप्ता में से सुरेश कानि. 362 व श्री नरेश कानि0 1080 को स्वतन्त्र गवाह मामुर कर रोके हुये दीपक वैरवा की तलाशी ली तो पेंट के सामने की टी शर्ट के नीचे पेन्ट के नीचे छुपा हुया एक लोहे का लम्बा तेज धारदार चाकू मिला, जिसकी नाप की गई तो फल पर दोनों तरफ तेज धार है फल पर एक तरफ तेज धार भाग की लम्बाई 15 सेमी तथा फल पर दूसरी तरफ तेज धारदार भाग की लम्बाई 12/1/2 (साड़े बारह) तथा मूढ सहित लम्बाई 30 सेमी व मूठ प्लास्टिक की बटनदार जिस पर दो स्क्रू लगे हुये हैं तथा चाकू पर बीच मे त्रिभुज का कट लगा हुआ है। चाकू पर कम्पास लगा हुआ है व चाकू के उपर एक शैलनुमा लाईट लगी हुई है। इतनी लम्बाई का तेज धार दार चाकू कब्जे मे रखने लेकर चलने बावत दीपक बैरवा से अनुज्ञापत्र मांगा तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया, विना अनुज्ञापत्र के निर्धारित लम्बाई 10.16 सेमी से अधिक लम्बाई का धारदार लोहे का चाकू रखना जुर्म धारा 4/25

आर्म्स एक्ट का अपराध होने से दीपक बैरवा के कब्जे से मिला चाकू को एक कपडा थेली में रखकर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर कब्जे पुलिस लिया गया, मुलजिम दीपक को पृथक से गिरफ्तार किया गया। वापसी थाना पर मुक. दमा नं. 123/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया.....इत्यादि।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में एफ.आई.आर. संख्या—129/2021 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम 1959 (आगे अधिनियम 1959 से विनिर्दिष्ट किया जायेगा) में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.11.2021 को पेश किया गया।

3. अभियुक्त अधिवक्ता को आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति उपलब्ध करवाई गई और अभियुक्त पर पत्रावली में उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा 4/25 अधिनियम 1959 में प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने से अपराध अंतर्गत धारा 4/25 अधिनियम 1959 का प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर पत्रावली पर संलग्न गवाहान के बयान, फर्द जप्ती, कार्यवाही इत्यादि के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अंतर्गत धारा 4/25 अधिनियम 1959 में बनना पाये जाने पर दिनांक 26.08.2022 को उक्त अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श पी—1 से प्रदर्श पी—6 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है। साथ ही यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः आरोपित अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं

करवाये गये है। गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.03.2021 को समय 05.10 पी.एम. या उसके लगभग स्थान ग्राम इन्द्रपुरिया से पहले रोड पर अपने चेतनशील आधिपत्य में एक धारदार लोहे का चाकू रखा, जिसके धारदार फल की लम्बाई 15 सेमी थी, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दंड क्या होगा?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने का भार अभियोजन पक्ष पर है। सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—4 हरिशंकर, जो कि प्रकरण का जब्ती अधिकारी है के बयानों का अवलोकन किया गया। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 20.03.2021 को थाना के पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाप्ता सुरेश कानि, नरेश कानि के साथ मय प्राईवेट वाहन के मय अनुसंधान बॉक्स के अवैध कार्यों की चेकींग हेतु थाने से समय 4.30 पीएम पर रवाना होकर गस्त करते हुए के.पाटन बस स्टेंड पहुंचा, जहां जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने एक टी—शर्ट धारीदार पहन रखी है जो इन्द्रपुरीया की तरफ पैदल पैदल जा रहा है जिसके पास अवैध हथियार है। सूचना से जाप्ते को अवगत कराकर मय जाप्ता रवाना होकर इन्द्रपुरीया गांव के रोड पर इन्द्रपुरीया से पहले पहुंचा, तभी एक व्यक्ति मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का पैदल पैदल आता नजर आया, जो बावर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से पकड़ा व नाम पता पूछा तो अपना नाम दीपक बताया। जिसकी तलाशी हेतु स्वतंत्र गवाह लाने के लिये सुरेश कानि को मौखिक आदेश देकर भेजा, जिसने 15 मिनट बाद आकर बताया कि कानूनी पेचिदगी के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं है। जिस पर जाप्ते में से सुरेश कानि व नरेश कानि. को गवाह मामूर कर पकडे गए व्यक्ति दीपक की तलाशी ली, तो पेंट के सामने टी—शर्ट के नीचे पेंट के नीचे एक धारदार लोहे का तेज धारदार चाकू मिला। चाकू के दौनो तरफ तेज धार थी जिसका नाप लिया तो एक तरफ फल की लंबाई 15 सेमी व दूसरी तरफ फल की लबाई 12.1/2 पायी गयी तथा मूठ सहित कुल लंबाई 30 सेमी० पायी गयी। मूठ प्लास्टिक की डिजाईन दार थी जिस पर स्कू लगे हुए थे। चाकू पर बीच में त्रिभुज का कट लगा हुआ था। चाकू पर कंपास लगा हुआ था। चाकू के उपर एक सेलनुमा लाईट लगी हुई थी। दीपक से चाकू अपने कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र

मांगा तो नहीं होना बताया। दीपक का कृत्य धारा 4/25 आर्मस एक्ट का दण्. डनीय अपराध होने से चाकू को जप्त कर एक कपडे की थेली में रखकर शील्ड मोहर कर चिट चस्पा किया व मय माल मुलजिम को गिरफ्तार कर थाने पर पहुंचकर मय फर्दात व जप्तशुदा माल व गिरफ्तार शुदा मुलजिम आईसी थाना सजय वर्मा एसआई के समक्ष पेश किया जिस पर उनके द्वारा प्रकरण संख्या 129/21 दर्ज कर अनुसंधान नंदसिंह एएसआई को सुपुर्द किया व मुलजिम को बंद हवालात कर माल को जमा मालखाना कराया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम दीपक के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है. ई से एफ कायमी मुकदमा अंकित है, जी से एच आईसी थाना संजय वर्मा के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने से पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी संजय वर्मा के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—3 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 21.03.2021 को नंदसिंह एएसआई ने उसकी निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह कथन करता है कि यह सही है कि यह सही है कि उसने लिखित में स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कोई आदेश नहीं दिया व कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं की। यह गलत है कि घटनास्थल आबादी स्थल हो। गवाह की जिरह में अभियुक्त के कब्जे से बिना लाइसेंसी अवैध चाकू बरामद होने बाबत् कोई विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं आते हैं।

11. मौके के अन्य गवाहान् पी.डब्ल्यू—4 नरेश कुमार तथा पी.डब्ल्यू—5 सुरेश कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में हस्तगत प्रकरण के जब्ती अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद की है तथा दोनों ही गवाहान् द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बिना लाईसेंस की चाकू जिसके धारदार फल की लंबाई 15 सेमी थी, को जब्त किया जाना दर्शाया है तथा दोनों ही गवाहान् द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी—2, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—3 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी—4 पर स्वयं के हस्ताक्षर किया जाना दर्शाया है।

12. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—4 नरेश कुमार इस कथन को सही होना बताता है कि वह किसी गवाह को लेने नहीं गया, वह वहीं पर खड़ा था। यह सही है कि उसने छूर्रा देखा था, छूर्रे का आगे का कलर सिल्वर व हत्था हरे रंग का था व छूर्रे के दोनों तरफ ही धार थी। यह कहना सही है कि कोई व्यक्ति इस छूर्रे को लेकर भागेगा तो उसके चोट आना संभव है। जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—5 सुरेश कुमार ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने दीपक की तलाशी नहीं ली व मौके की कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं हुई। मुलजिम कटार कहां से लेकर आया था, इस बारे में

उससे पुछताछ नहीं की। अभियुक्त से बिना लाईसेंस चाकू, जिसके फल की लंबाई 15 सेमी थी, की जब्ती के संबंध में उक्त दोनों ही गवाहान् के बयानों में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं आता है।

13. गवाह पी.डब्ल्यू—1 कैलाश सिंह, जो मालखाना इंचार्ज है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 20.03.2021 की थाना के.पाटन में एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन हरिशंकर एएसआई ने प्रकरण संख्या 129/2021 में एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड शुदा चिटच. स्पा एक चाकू धारदार जमा मालखाना करने हेतु उसे दिया था। जिसे उसने असल मालखाना रजिस्टर की संख्या 71/2021 दिनांक 20.03.2021 को इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—01 है जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—1ए है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—3 नन्द सिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनाक 20.03.2021 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईसी थाना संजय वर्मा एसआई ने प्रकरण संख्या 129/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। दौराने अनुसधन दिनाक 21.03.2021 को घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी हरिशंकर की निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह हरिशंकर, नरेश कानि., सुरेश कानि. के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। नकल रपट रोजनामचा की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रति शामिल पत्रावली की। अधि ासूचना की प्रति शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वास न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

15. जिरह में गवाह यह कथन करता है कि नक्शा मौका बनाते समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उक्त माल कटार बाजार में आसानी से मिल जाती हो। यह कहना गलत है कि जप्तशुदा कटार शादी—ब्याह या धार्मिक कार्यक्रम के काम आती हो। गवाह की जिरह में कोई विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं आते हैं।

17. हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू—2 हरिशंकर तथा मौके के गवाहान् पी.डब्ल्यू—4 नरेश कुमार व पी.डब्ल्यू—5 सुरेश कुमार द्वारा अपनी अटल साक्ष्य से इस तथ्य को साबित किया है कि दिनांक 20.03.2021 को अभियुक्त के चेतनशील आधिपत्य में एक धारदार लोहे का चाकू, जिसके धारदार फल की लम्बाई 15 सेमी थी, बरामद की गई थी। संबंधित फर्दों को उक्त गवाह अपनी

अखण्डनीय साक्ष्य से पुष्ट करते हैं। मालखाना इंचार्ज के बयानों में मालखाना Intact रहने के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं आया है। जहां तक हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये जाने का अभियुक्त अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये हैं तो चूंकि मौके के गवाहान् द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह तथ्य प्रकट किया है कि मौके पर कोई आम व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं था। इस कारण से स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये। दूसरी ओर जबकि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपनी अटल साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को साबित करने में सफल रहे है तो केवल स्वतंत्र साक्षी के प्रकरण में गवाह के रूप में पेश नहीं होने से अभियोजन के मामले को दूषित होना नहीं माना जा सकता है।

18. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.03.2021 को समय 05.10 पी.एम. या उसके लगभग स्थान ग्राम इन्द्रपुरिया से पहले रोड पर अपने चेतनशील आधिपत्य में एक धारदार लोहे का चाकू रखा, जिसके धारदार फल की लम्बाई 15 सेमी थी, जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

19. अतः **अभियुक्त दीपक** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी इन्द्रपुरिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

सजा के बिन्दु पर सुना गया

20. दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

21. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्त वर्ष 2021 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त का पूर्व

आपराधिक रिकार्ड पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस संबंध में अभियुक्त ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

22. अतः **अभियुक्त दीपक** पुत्र कन्हैयालाल, निवासी इन्द्रपुरिया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका 06 माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगा प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त द्वारा 500/— रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

23. अभियुक्त को अंतर्गत धारा 437ए दं.प्र.सं. 1973 के तहत निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में 10,000/— रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश किए जाने का आदेश दिये जाते है। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

24. हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी—2 के अनुसार जब्त धारदार चाकू को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

25. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **17 मार्च, 2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी